विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 06 जुलाई, 2012 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 53वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) स्थापित करने के प्रस्तावों तथा विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की तिरपवनवीं (53वीं) बैठक श्री एस आर राव, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 06 जुलाई, 2012 को पूर्वाहन 10.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (अनुबंध 1)।

2. अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 589 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से इस समय 389 एसईजेड अधिसूचित हो गए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार, एसईजेड में 2,01,874.76 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और एसईजेड में 8,44,916 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया गया है। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, एसईजेड से 3,64,477.73 करोड़ रुपए का कुल निर्यात किया गया है जो वर्ष 2010-11 के लिए निर्यात की तुलना में लगभग 15.39 प्रतिशत अधिक है।

मद संख्या 53.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

(i) 104.72.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में भद्रेश्वर, मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में विद्युत के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स ओपीजीएस पावर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

बोर्ड ने नोट किया कि गुजरात सरकार ने अपने पत्र दिनांक 23 अप्रैल, 2012 के माध्यम से प्रस्ताव की सिफारिश की है। तथापि, विकास आयुक्त, केएएसईजेड की रिपोर्ट के अनुसार 104.72.24 हेक्टेयर का संपूर्ण क्षेत्र इस समय विकासक के कब्जे में नहीं है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 104.72.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में भद्रेश्वर, मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में विद्युत के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स ओपीजीएस पावर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ii) 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स इम्पेटस इनफोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 06 मार्च, 2012 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स इम्पेटस इनफोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम कालाहल्ली, नांजनगुड तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक में बायोटेक (फर्मा) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स जुबिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। कर्नाटक सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 22 फरवरी, 2012 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम कालाहल्ली, नांजनगुड तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक में बायोटेक (फर्मा) के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स जुबिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iv) 166.66 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम तिरूवम्बलापुरम, राधापुरम तालुक, तिरूनेलवेली जिला, तमिलनाडु में खनिज एवं खनिज आधारित उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स वी वी मिनरल का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। तमिलनाडु सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक 03 मई, 2012 के माध्यम से औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 166.66 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम तिरूवम्बलापुरम, राधापुरम तालुक, तिरूनेलवेली जिला, तमिलनाडु में खनिज एवं खनिज आधारित उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स वी वी मिनरल के प्रस्ताव को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 51.2 : सह विकासक के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा सह विकासक के लिए संस्वीकृत सभी प्रस्ताव इस शर्त के अधीन हैं कि पट्टा करार / सह विकासक करार के विशिष्ट नियमों और शर्तों का आयकर अधिनियम एवं नियमावली के तहत कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ लीज रेंटल / डाउन पेंमेंट / प्रीमियम आदि के रूप में आय के संव्यवहार से कोई सरोकार नहीं होगा। कर निर्धारण अधिकारी को यथालागू एसईजेड अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत इन राशियों की कराधेयता की जांच करने का अधिकार होगा। यह इस बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित सह विकासक के सभी मामलों पर लागू है। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के प्रस्तावों के साथ पट्टा विलेख / प्रारूप विलेख संलग्न होना चाहिए जिसमें अन्य बातों के साथ विकासक एवं प्रस्तावित सह विकासक के बीच वित्तीय लेनदेन / व्यवस्था का ब्यौरा होना चाहिए। प्रस्तावों पर निर्णय निम्नानुसार हैं :

(i) लंधैकुलम गांव, मदुरै, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स चेल्ला साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि मैसर्स चेल्ला साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड की उसी एसईजेड में एक यूनिट है तथा सह विकासक ने अनुमोदन बोर्ड की 47वीं बैठक की मद 47.2 के तहत निर्धारित निम्नलिखित निर्णयों / शर्तों की पुष्टि करते हुए वचन दिया है :

(i) सामान्य नीति के अनुसार विकासक / सह विकासक तथा यूनिट अलग विधिक संस्था होनी चाहिए।

(ii) यदि कुछ विशिष्ट कारणों से उपर्युक्त व्यवस्था संभव न हो तो विकासक / सह विकासक तथा यूनिट के कार्यों को निम्नलिखित ढंग से रिंग फेंस किया जाएगा :

- अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पूर्व विकास आयुक्त द्वारा विशिष्ट कारणों की जांच की जाएगी कि क्यों विकासक / सह विकासक तथा यूनिट अलग विधिक संस्थाएं नहीं हैं।
- विकासक / सह विकासक तथा यूनिट माल एवं सेवाओं के सभी आयात तथा घरेलू प्रापण का अलग लेखा रखेंगे।
- विकासक / सह विकासक के लेखा से यूनिट के लेखा में और विलोमत: पट्टा किराया प्रभार, सेवा प्रभार तथा ऐसी प्रकृति के अन्य व्यय का कोई अंतरण अनुमत नहीं होगा।

इसलिए, विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 0.91 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स चेल्ला साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की। हालाँकि, यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

(क) सह विकासक तथा यूनिट की दो संस्थाएं माल एवं सेवाओं के सभी आयात एवं घरेलू प्रापण के लिए अलग लेखा रखेंगी।

(ख) सह विकासक के लेखा से यूनिट के लेखा में और विलोमत: पट्टा किराया प्रभार, सेवा प्रभार तथा ऐसी प्रकृति के अन्य व्यय का कोई अंतरण अनुमत नहीं होगा।

(ii) ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स किंग्स कैनन इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने अनुमोदन बोर्ड को बताया कि विकासक और सह विकासक के बीच निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रारूप पट्टा करार के अनुसार सह विकासक को सेक्टर ए में शामिल भूमि के संबंध में 61 लाख रुपए प्रतिवर्ष तथा सेक्टर ए में शामिल सुपर निर्मित क्षेत्रफल के संबंध में 49.66 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। इसके अलावा पट्टे की समाप्ति पर पट्टाधारक के अनन्य विकल्प पर पट्टा का नवीकरण किया जा सकता है। टिप्पणी की गई कि ऐसी शर्तें तथा पट्टे का अनानुपातिक रूप से अधिक किराया विकासक द्वारा भूमि की बिक्री जैसा है। इसलिए सीबीडीटी की टिप्पणियों को नोट करते हुए अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा विकास आयुक्त, एनएसईजेड को अनुमोदन बोर्ड द्वारा अग्रेतर विचार के लिए उपर्युक्त सभी मुद्दों की जांच के बाद पट्टा करार की प्रकृति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।"

(iii) प्लॉट संख्या टीजेड-06, टेक जोन, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अर्थ आइकानिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 151762.50 वर्गमीटर (15.20 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स अर्थ आइकानिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(iv) जंबूसर, जिला भड़ूच, गुजरात में मैसर्स स्टर्लिंग एसईजेड एंड इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए स्टेशन के साथ नेचुरल गैस पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(v) बंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स माइलस्टोन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड (एमबीपीएल) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स भारतीय अर्बन इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड डवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 42,93,125.71 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स भारतीय अर्बन इनफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड डवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(vi) बल्लंदपुर गांव, वर्थुर होबली, बंगलौर पूर्व तालुक, बंगलौर शहरी जिला, कर्नाटक में मैसर्स प्राइमल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स प्रिटेक प्रोजेक्ट्स का अनुरोध

सीबीडीटी के प्रतिनिधि ने अनुमोदन बोर्ड को बताया कि पट्टा करार के अनुसार सह विकासक को 1000 रुपए की मामूली राशि का हर साल भुगतान करना है तथा 10000 रुपए की राशि एकबारगी जमा करनी है और इस राशि में वृद्धि नहीं की जा सकती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को आस्थगित कर दिया तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा फिर से विचार किए जाने के लिए उपर्युक्त सभी मुद्दों की जांच के बाद पट्टा करार की प्रकृति पर विकास आयुक्त, सीएसईजेड से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

(vii) तालुक खेड एवं शिरूर, जिला पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स खेड इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकास के लिए मैसर्स खेड टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

13 मार्च, 2012 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया था कि सह विकासक का दर्जा प्रदान किए जाने पर एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत लाभों को प्राप्त करने के अलावा मैसर्स खेड टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड वस्त्र मंत्रालय से भी सब्सिडी प्राप्त करेगा। अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की थी कि यह डबल डिपिंग हो सकता है। बोर्ड ने नोट किया कि वस्त्र मंत्रालय ने

सूचित किया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना (एसआईटीपी) के दिशानिर्देशों के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में एकीकृत टेक्सटाइल पार्क (आईटीपी) भी स्थापित किए जा सकते हैं तथा ऐसे मामले में उन पर एसईजेड के विशेष प्रावधान लागू होंगे। अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि सह विकासक एसआईटीपी योजना के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करेगा परंतु सह विकासक एवं विकासक ने वचन दिया है कि वे एसआईटीपी के अंतर्गत अनुदान के रूप में टेक्सटाइल पार्क में किए गए निवेश पर एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत उपलब्ध किसी आयकर लाभ पर कोई दावा नहीं करेंगे।

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 32.38 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों के तहत शामिल अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स खेड टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की। तथापि, यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि एसआईटीपी योजना के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के रूप में या टेक्सटाइल पार्क में उनके द्वारा किए गए निवेश पर विकासक या सह विकासक को एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत कोई आयकर लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

(viii) ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और सॉफ्वेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अर्थ बिल्डर्स एलएलपी का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में 0.436921 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में प्रसंस्करण क्षेत्र में लगभग 3 लाख वर्गफीट के एक टावर के निर्माण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स अर्थ बिल्डर्स एलएलपी के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 53.3 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) मंजरी बुदरुक, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एसईजेड बायोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की :

क्र. सं.	अधिकृत गतिविधि का नाम	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)
1.	हेलीपैड	1035
2.	क्लीनिकल तथा टॉक्स स्टडी के लिए एनिमल ब्रीडिंग के लिए एनीमल हाउस	1860
3.	आवास या सर्विस अपार्टमेंट, बिजनस और/या कनवेंशन सेंटर, शॉपिंग अर्काडे और/या रिटेल स्पेस	6000

4.	कार्यालय स्थान	5580
5.	रेस्ट रूम	235
6.	केंद्रीयकृत कपड़े धोने का क्षेत्र	280

(ii) टीकरी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स यूनीटेक रियल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 54859.20 वर्गमीटर के आईटी / आईटीईएस कार्यालय स्थान के निर्माण के लिए अनुरोध किया है। राजस्व विभाग ने बताया कि आईटी / आईटीईएस एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में आईटी / आईटीईएस कार्यालय स्थान का कोई स्पष्ट औचित्य नहीं है क्योंकि इसका एसईजेड के बाहर संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक रूप में उपयोग किया जा सकता है। चूंकि गैर प्रसंस्करण क्षेत्र मुख्य रूप से प्रसंस्करण क्षेत्र में यूनिटों की सहायता के लिए अवसंरचना सुविधाएं स्थापित करने के लिए है। राजस्व विभाग ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने से पूर्व मामले पर और स्पष्टीकरण प्रदान करने की मांग की। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को आस्थगित कर दिया तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा फिर से विचार किए जाने के लिए उपर्युक्त सभी मुद्दों की जांच के बाद विकासक द्वारा अनुरोध किए गए अधिकृत प्रचालनों की प्रकृति पर विकास आयुक्त, एनएसईजेड से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

(iii) भोड़सी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स जीएचआई फिनलीज एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने 66850 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में आवासीय स्थान के लिए अनुरोध किया है। राजस्व विभाग ने टिप्पणी की कि एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में इतने विशाल आवासीय स्थान के निर्माण का कोई स्पष्ट औचित्य नहीं है तथा इसका एसईजेड के बाहर संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को आस्थगित कर दिया तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा फिर से विचार किए जाने के लिए उपर्युक्त सभी मुद्दों की जांच के बाद विकासक द्वारा अनुरोध किए गए अधिकृत प्रचालनों की प्रकृति पर विकास आयुक्त, एनएसईजेड से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

मद संख्या 53.4 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) 10.9915 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम बादशाहपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स अंसल एसईजेड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने 10.9915 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ग्राम बादशाहपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स अंसल एसईजेड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने यथास्थिति एसईजेड अधिनियम /

नियमावली के अधीन कोई ड्यूटी / कर लाभ प्राप्त नहीं किया है या उसने प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 53.5 : औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध

(i) बारासत, पश्चिम बंगाल में आईटीईएस सहित आईटी / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड को प्रदान की गई औपचारिक मंजूरी वापस लेना

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने 11.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बारासत, पश्चिम बंगाल में आईटीईएस सहित आईटी / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स मैसर्स श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने यथास्थिति एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन कोई ड्यूटी / कर लाभ प्राप्त नहीं किया है या उसने प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 51.6 : पांचवें एवं छठें साल के बाद औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) बैकमपैडी, मंगलौर के पास, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक में पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स मंगलौर एसईलेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 29 जुलाई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) नारीवल्ली गांव, तालुक एवं जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 मई, 2012 के बाद (5 वर्ष के बाद) बढ़ाने के लिए मैसर्स लोधा ड्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 2 मई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(vi) कंकसा, पानगढ़ बाजार, जिला वर्दवान, पश्चिम बंगाल में सौर ऊर्जा उपकरण सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अगस्त, 2011 (5 वर्ष से ऊपर) के बाद आगे बढ़ाने के लिए मैसर्स इनफील्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 22 अगस्त, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iv) दीमापुर, नागालैंड में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2010 के बाद (5वें वर्ष के बाद) बढ़ाने के लिए मैसर्स एचएन कंपनी का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ कर दिया तथा 29 जुलाई, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(v) खोपोली, दहीवाली गांव, खालापुर तालुक, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद आगे बढ़ाने के लिए मैसर्स उत्तम गल्वा स्टील लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 जुलाई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(vi) खोपोली, देवनहावे गांव, खालापुर तालुक, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) आगे बढ़ाने के लिए मैसर्स उत्तम गल्वा स्टील लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 जुलाई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(vii) ग्राम नगवारा, बंगलौर उत्तर तालुक, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 18 जून, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स कार्ले इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 18जून, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(viii) जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शमशाबाद, हैदराबाद में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के साथ बहु सेवा (पहले एयरपोर्ट आधारित बहु उत्पाद) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2012 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 24जून, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ix) ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स यूनिटेक इंफ्राकॉन लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 22 मई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(x) सावली गांव, वडोदरा जिला, गुजरात में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 जून, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 22जून, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xi) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-ए के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 24 अक्टूबर, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xii) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-बी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 24 अक्टूबर, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xiii) यूल्वे, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस-सी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 21 नवंबर, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 21 नवंबर, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xiv) शेंद्रे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इंसपिरा (इनफ्रा) औरंगाबाद लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 जुलाई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xv) शेंद्रे, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा उपकरण सहित गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इंसपिरा (इनफ्रा) औरंगाबाद लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 जुलाई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xvi) कांडला एवं टूना, गांधीधाम, जिला भुज, गुजरात में पत्तन आधारित बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 मई, 2012 के बाद आगे बढ़ाने के लिए मैसर्स कांडला पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 6 मई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xvii) ग्राम चिंतावरम, चिल्लाकुरू मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में वस्त्र एवं परिधान के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जुलाई, 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स एमएएस फेब्रिक पार्क्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 25 जुलाई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xviii) ग्राम ओवाले, चोडबंडर रोड, जिला थाणे, महाराष्ट में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने लिए मैसर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 20 अगस्त, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xix) मुलुंड और थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 जून, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स सनस्ट्रीम सिटी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स जीयस इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 20जून, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xx) चेलेंबरा गांव में कक्कनचेरी, तिरुरंगाडी तालुक, मलप्पुरम जिला, केरल में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 5 जुलाई, 2010 के बाद (6वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ कर दिया तथा 5 जुलाई, 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xxi) 15/1, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 15 जून, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स सेलेक्टो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 15जून, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xxii) रायगड़ जिला, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 जून, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स क्लैरिज एसईजेड डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 26जून, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xxiii) इंदौर, मध्य प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स एमपी औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 20 अगस्त, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xxiv) कल्लाहल्ली और कतवाडीपुरा गांव, नंजनगुड तालुक, जिला मैसूर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स ऑप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 20 अगस्त, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xxv) हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 27 अगस्त, 2012 के बाद आगे बढ़ाने के लिए मैसर्स कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 27 अगस्त, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xxvi) गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स डा. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने 25जून, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(xxvii) गोपालपुर, गंजम जिला, उड़ीसा में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 जून, 2012 के बाद (छठें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गोपालपुर स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 17जून, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 53.7 : तीसरे से पांचवें साल के बाद सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) खोपटा, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 7 अगस्त, 2012 के बाद (तीसरे वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स मुंबई एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 7 अगस्त, 2013 तक सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई।

(ii) नागपुर, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 8 जनवरी, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स नागपुर मल्टी प्रॉडक्ट एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद 4 साल की अवधि बीत जाने के बावजूद सेक्टर के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण नहीं कर पाया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के अनुरोध को आस्थगित कर दिया और बोर्ड द्वारा अग्रेतर विचार के लिए निम्नलिखित मुद्दों का उल्लेख करते हुए विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया :

- चार साल की अवधि बीत जाने के बावजूद एसईजेड के लिए न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण करने में असफलता के कारण
- विकासक द्वारा एसईजेड की स्थापना के लिए जमीनी स्तर पर की गई प्रगति की स्थिति
- एसईजेड परियोजना को पूरा करने के लिए प्रस्तावित समय सीमा (भूमि अधिग्रहण, विकास, निर्माण एवं क्रियाशीलता सहित)

(iii) औरंगाबाद, महाराष्ट्र में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 6 जनवरी, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स औरंगाबाद एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद 4 साल की अवधि बीत जाने के बावजूद सेक्टर के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण नहीं कर पाया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के अनुरोध को आस्थगित कर दिया और बोर्ड द्वारा अग्रेतर विचार के लिए निम्नलिखित मुद्दों का उल्लेख करते हुए विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया :

- चार साल की अवधि बीत जाने के बावजूद एसईजेड के लिए न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण करने में असफलता के कारण
- विकासक द्वारा एसईजेड की स्थापना के लिए जमीनी स्तर पर की गई प्रगति की स्थिति
- एसईजेड परियोजना को पूरा करने के लिए प्रस्तावित समय सीमा (भूमि अधिग्रहण, विकास, निर्माण एवं क्रियाशीलता सहित)

(iv) नांदेड़, महाराष्ट्र में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स नांदेड़ एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद 5 साल की अवधि बीत जाने के बावजूद सेक्टर के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण नहीं कर पाया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के अनुरोध को आस्थगित कर दिया और बोर्ड द्वारा अग्रेतर विचार के लिए निम्नलिखित मुद्दों का उल्लेख करते हुए विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया :

- पांच साल की अवधि बीत जाने के बावजूद एसईजेड के लिए न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण करने में असफलता के कारण
- विकासक द्वारा एसईजेड की स्थापना के लिए जमीनी स्तर पर की गई प्रगति की स्थिति
- एसईजेड परियोजना को पूरा करने के लिए प्रस्तावित समय सीमा (भूमि अधिग्रहण, विकास, निर्माण एवं क्रियाशीलता सहित)

(v) नासिक, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 25 जून, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स नासिक मल्टी सर्विसेज एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किए जाने के बाद 5 साल की अवधि बीत जाने के बावजूद सेक्टर के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण नहीं कर पाया है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के अनुरोध को आस्थगित कर

दिया और बोर्ड द्वारा अग्रेतर विचार के लिए निम्नलिखित मुद्दों का उल्लेख करते हुए विकास आयुक्त, एसईईपीजेड से एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया :

- पांच साल की अवधि बीत जाने के बावजूद एसईजेड के लिए न्यूनतम भूमि का अधिग्रहण करने में असफलता के कारण
- विकासक द्वारा एसईजेड की स्थापना के लिए जमीनी स्तर पर की गई प्रगति की स्थिति
- एसईजेड परियोजना को पूरा करने के लिए प्रस्तावित समय सीमा (भूमि अधिग्रहण, विकास, निर्माण एवं क्रियाशीलता सहित)

मद संख्या 53.8 : तीन से पांच साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 31 दिसंबर, 2010 के बाद (तीसरे साल के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स पीएंडजे क्रेटकेम प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ कर दिया तथा 31 मार्च, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) 27 जुलाई, 2011 के बाद (तीसरे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जेटा साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड जो मिहान एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विलंब को माफ कर दिया तथा 17 जुलाई, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iii) 12 मार्च, 2012 के बाद (तीसरे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कॉमर्सियल सिनबैग लिमिटेड जो इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 12 मार्च, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(iv) 30 नवंबर, 2011 के बाद (तीसरे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स गुजरात डाईस्टफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 30 नवंबर, 2012 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(v) 26 जनवरी, 2012 के बाद (तीसरे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एनसीएस रिन्यूएबल एनर्जीज लिमिटेड जो ग्राम रवीरयाल / श्रीनगर, महेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर के लिए मैसर्स फैब सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 26 जनवरी, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की और निदेश दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा।

(vi) 12 अप्रैल, 2012 के बाद (तीसरे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कीरट क्राफ्ट्स जो ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 12 अप्रैल, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(vii) 4 मार्च, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स आशापुरा गारमेंट्स लिमिटेड जो एमपीएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 04 मार्च, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(viii) 4 मई, **2012** के बाद (चौथे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मेघमणि आर्गेनिक्स लिमिटेड (एमओएल) जो मैसर्स दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 4 मई, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ix) 27 जुलाई, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर्स सर्विसेज लिमिटेड जो मिहान एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 27 जुलाई, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की और निदेश दिया कि यह अंतिम विस्तार होगा।

(x) 31 मार्च, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स नगारो साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड जो ग्राम कलवारा, तहसील सांगनेर, जिला जयपुर, राजस्थान में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 31 मार्च, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xi) 30 जून, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ग्लेनमार्क जेनरिक्स लिमिटेड जो इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 30जून, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xii) 04 फरवरी, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जियोन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो एमएडीसी एसईजेड, नागपुर, महाराष्ट्र की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 4 फरवरी, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

(xiii) 15 अक्टूबर, 2012 के बाद (पांचवें वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपीएएल) जो मैसर्स दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 15 अक्टूबर, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 53.9 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) ग्राम मामिडीपल्ली, शमशाबाद मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मौजूदा एयरपोर्ट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि और कटौती के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने क्रमश: एसईजेड में 9.6315 हेक्टेयर (23.8 एकड़) भूमि की वृद्धि और एसईजेड से 8.923 हेक्टेयर (22.05 एकड़) भूमि के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 102.628 हेक्टेयर (253.6 एकड़) हो जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन है कि विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है।

(ii) मणिकोंडा गांव, राजेंद्र नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि की वृद्धि के लिए मैसर्स लैंको हिल्स टेक्नोलॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि पर लगभग 593000 वर्गफीट का एक टावर है और इस समय यह मौजूदा एसईजेड से संस्पर्शी नहीं है। तथापि, शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि एसईजेड नियमावली के तहत निर्धारित रिक्ति की शर्त को पूरा करती है। इसलिए विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने 0.66 हेक्टेयर के क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 12.43 हेक्टेयर हो जाएगा। हालाँकि, यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

(क) आंध्र प्रदेश सरकार से एनओसी
(ख) विकासक एसईजेड में क्षेत्रफल के शामिल होने से पूर्व निर्मित किए गए भवन पर किसी कर छूट का दावा नहीं करेगा।

(ग) विकासक द्वारा यथा प्रस्तावित सन्निकटता स्थापित करना।

(घ) सन्निकटता स्थापित करने के लिए कोई ड्यूटी छूट अनुमत नहीं होगी।

मद संख्या 53.10 : अतिरिक्त फाटकों के लिए अनुरोध

(i) पोर्ट के प्रचालनों के लिए अतिरिक्त प्रवेश / निकास द्वारों के अनुमोदन के लिए मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने निम्नानुसार अतिरिक्त फाटकों के लिए मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की :

(क) पत्तन की गतिविधियों के लिए एसईजेड के निर्धारित गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अलग प्रवेश / निकास द्वार

(ख) प्रसंस्करण क्षेत्र में दो निकास द्वार, गोदरेज एंड ब्वायस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (प्लाट नंबर जेड/90) तथा आईएसजीईसी हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड (प्लाट नंबर जेड/89) के लिए एक-एक

मद संख्या 53.11 : एयरक्राफ्ट के हटाए गए / प्रतिस्थापित कंपोनेंट / स्पेयर को उसके अपने ग्राहकों को लौटाने के लिए मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरो टेक्नीक लिमिटेड (एमजीएएल) जो मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

सीबीईसी के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि टीआरयू के परामर्श से मामले की जांच की जा रही है तथा शीघ्र ही उनकी टिप्पणियां प्रस्तुत की जाएंगी। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि सीबीईसी से टिप्पणियों की प्राप्ति के बाद वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर मामले की जांच की जाएगी।

मद संख्या 53.12 : दाहेज में जीआईडीसी रिजर्वायर से दाहेज एसईजेड में परियोजना साइट पर 914 एमएम व्यास की एमएस वाटर पाइप लाइन लाने के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए मैसर्स टोरेंट एनर्जी लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने दाहेज में जीआईडीसी के जलाशय से एसईजेड में उनके परियोजना स्थल तक 914 एमएम व्यास की एमएस वाटर पाइप लाइन लाने के लिए इस शर्त के अधीन मैसर्स टोरेंट एनर्जी लिमिटेड के एक अनुरोध को अनुमोदित किया कि ड्यूटी लाभ एसईजेड के अंदर संचालित की गई गतिविधियों तक सीमित होंगे।

मद संख्या 53.13 : मैसर्स फाइन ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड द्वारा मदर ऑफ पर्ल के डीटीए प्रापण के लिए प्रदान किए गए अनुमोदन की पुष्टि के लिए अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने डीटीए से मदर आफ पर्ल के प्रापण के लिए मैसर्स फाइन ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड को यूनिट अनुमोदन समिति, एसईईपीजेड एसईजेड द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन की पुष्टि की।

मद संख्या 53.14 : फेरो मैगनीज स्लैग'' जो प्रतिबंधित मद है, के आयात के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स अंजनी अलॉयज लिमिटेड लिमिटेड जो अत्चुतापुरम, विशाखापट्टनम में एपीएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने फेरो मैग्नीज स्लैग के आयात के लिए मैसर्स अंजनी अलॉयज लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की। तथापि, यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि कोई डीटीए लेनदेन नहीं होगा। विकास आयुक्त इस मामले में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की शर्तों / दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का सुनिश्चय करेंगे।

मद संख्या 53.15 : न्यूनतम निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र के निर्माण के लिए समय बढ़ाने के लिए मैसर्स एनआईआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड नियमावली में संशोधन (जो प्रावधान करता है कि किसी आईटी / आईटीईएस एसईजेड के 1 लाख वर्गमीटर के न्यूनतम निर्मित क्षेत्र को एसईजेड की अधिसूचना की तारीख से 10 साल की अवधि के अंदर निर्मित करना होगा जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र का निर्माण ऐसी अधिसूचना की तारीख से 5 साल की अवधि के अंदर होना चाहिए) को एसईजेड (संशोधन) नियमावली 2010 दिनांक 14 जून 2010 के माध्यम से एसईजेड नियमावली में शामिल किया गया। चूंकि एसईजेड औपचारिक रूप से 24 अगस्त 2006 को अनुमोदित किया गया, 29 मई 2007 को अधिसूचित किया गया और क्रियाशील हो गया है और इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड नियमावली के नियम 5 (7) की शर्तों का पालन करने के लिए विकासक को 29 मई 2013 तक का समय प्रदान किया।

मद संख्या 53.16 : सीटीएच संख्या 39 20 20 के तहत आने वाली मद अर्थात बीओपीपी फिल्म के निर्माण को शामिल करने के लिए एलओपी की ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स कास्मो फिल्म लिमिटेड जो सेंद्रे, जिला औरंगाबाद में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के प्रतिनिधि ने बोर्ड को सूचित किया कि विचाराधीन मामला यूनिट द्वारा बैकवर्ड एकीकरण का मामला है। अनुमोदन बोर्ड ने इन टिप्पणियों को नोट किया और इस संबंध में विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड की रिपोर्ट की भी जांच की तथा विचार विमर्श के बाद विनिर्माण की मद अर्थात सीटीएच नंबर 39 20 20 के अंतर्गत आने वाली बीओपीपी फिल्मों को शामिल करने के लिए एलओपी की ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स कास्मो फिल्म लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 53.17 : नाम में परिवर्तन / इक्विटी के अंतरण के लिए अनुरोध

(i) नाम बदलकर मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया गया कि मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने बस अपना नाम बदलकर मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कर लिया है और कंपनी की शेयर होल्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने नाम बदलकर मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(ii) राजीव गांधी इंफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के विकास के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को आकृति सिटी मैग्नम लिमिटेड को ट्रांसफर करने के लिए मैसर्स डीएलएफ आकृति इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड का अनुरोध

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने सूचित किया कि इस मामले में विकासक से कुछ स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कहा गया है। इसलिए अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया।

(iii) कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स पुणे एंबेसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (पीईपीपीएल) का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में निम्नानुसार परिवर्तन के लिए मैसर्स पुणे एंबेसी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की :

क्र. सं.	**नाम**	**शेयर होल्डिंग का प्रतिशत**
1	एंबेसी प्रापर्टी डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (ईपीडीएल)	100.00 प्रतिशत

हालाँकि, यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
(iv) इक्विटी के अंतरण से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे।
(v) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण से अत्पन्न राशि की कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।
(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेंगे जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(iv) कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में निम्नानुसार परिवर्तन के लिए मैसर्स मान्यता प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की :

क्र. सं.	नाम	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
1	रेड्डी वीराना	27.00
2.	आर सुगुना	0.26
3.	पुणे डायनेस्टी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (पीडीपीपीएल)	35.77
4.	बीआरई मारीशस इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड (बीआरई)	36.97
	कुल	**100.00**

हालाँकि, यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

(i) विकासक की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;

(ii) विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्वारा सुरक्षा क्लियरेंस आदि सहित विकासक पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;

(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।

(iv) इक्विटी के अंतरण से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे।

(v) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण से अत्पन्न राशि की कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।

(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेंगे जिसमें भूमि को पट्टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(v) नाम बदलकर मैसर्स बेनीफिसेंट नालेज पार्क्स एंड प्रापर्टीज लिमिटेड करने के लिए मैसर्स रसई प्रापर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

बोर्ड ने नोट किया कि 24 जनवरी, 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक को मैसर्स एक्सलस्टार वेंचर्स 1 एलएलपी को 50 प्रतिशत शेयर अंतरित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था और अब विकासक का नाम परिवर्तित करने के लिए अनुरोध किया गया है।। विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने नाम बदलकर मैसर्स बेनीफिसेंट नालेज पार्क्स एंड प्रापर्टीज लिमिटेड करने के लिए मैसर्स रसई प्रापर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(vi) अपने नाम एवं उद्‌यमिता में परिवर्तन के लिए मैसर्स आईएनसी जीवीके बायो प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्‌वारा गुड़गांव में विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने कंपनी की शेयर होल्डिंग के पैटर्न में निम्नानुसार परिवर्तन के लिए मैसर्स आईएनसी जीवीके बायो प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की :

शेयर धारक का नाम	कुल इक्विटी का प्रतिशत
आईएनसी रिसर्च एलएलसी	99.99 प्रतिशत
केंडल एनसी एलएलसी	00.01 प्रतिशत

हालाँकि, यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

(i) यूनिट की परिवर्तित कंपनी के लिए जिम्मेदारियों एवं बाध्यताओं में परिवर्तन के बगैर एसईजेड की गतिविधियों को अचूक ढंग से जारी रखना;
(ii) सह विकासक की परिवर्तित कंपनी तथा उसके संघटकों द्‌वारा यूनिट पर लागू पात्रता के सभी मापदंडों का निर्वहन;
(iii) राजस्व / कंपनी कार्य / सेबी आदि के सभी लागू नियमों की प्रयोज्यता तथा उनका अनुपालन, जो पूंजी अभिलाभ, इक्विटी परिवर्तन, अंतरण, कराधेयता आदि जैसे मुद्‌दों को विनियमित करते हैं।
(iv) इक्विटी के अंतरण से संबंधित पूर्ण वित्तीय ब्यौरे सदस्य (आईटी), सीबीडीटी, राजस्व विभाग को तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे।
(v) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण अधिकारी को इक्विटी के अंतरण से अत्पन्न राशि की कराधेयता का निर्धारण करने का अधिकार होगा।
(vi) आवेदक राज्य सरकार के सभी संगत कानूनों का पालन करेंगे जिसमें भूमि को पट्‌टा पर देने से संबंधित यथालागू कानून शामिल हैं।

(vii) नाम में परिवर्तन के लिए मैसर्स बावरिया पोली प्राइवेट लिमिटेड जो एफएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने सूचित किया है कि यूनिट ने माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28 जुलाई 2011 के अनुसरण में तथा 1 अप्रैल 2010 से लागू समामेलन योजना के अनुसार अपना नाम मैसर्स बावरिया पोली प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर मैसर्स कल्पना इंडस्ट्रीज करने के लिए अनुरोध किया है। तथापि, राजस्व विभाग ने एलओपी के अंतरण से संबंधित कुछ स्पष्टीकरण की मांग की। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को आस्थगित कर दिया तथा अनुमोदन बोर्ड द्‌वारा फिर से विचार किए जाने के लिए उपर्युक्त सभी मुद्‌दों की जांच के बाद विकास आयुक्त, एफएसईजेड से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

मद संख्या 53.18 : अनुमोदन के निर्णयों पर पुनर्विचार के लिए अनुरोध

प्रसंस्करण क्षेत्र में आईसी सुविधा स्थापित करने के लिए उनके अनुरोध के विरुद्ध गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में मैसर्स एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा मैसर्स बेसिक्स एकेडेमी फॉर बिल्डिंग लाइफलांग एंप्लायबिलिटी (बी-एबल) को सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विकासक द्वारा प्रस्तुत किए गए औचित्य पर विचार किया। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने बोर्ड को सूचित किया कि एसईजेड बहुत दुर्गम क्षेत्र में स्थित है और एसईजेड के विकास के लिए 5 साल की अवधि के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र में सुविधाएं स्थापित करने के लिए सह विकासकों को अनुमति प्रदान करना आवश्यक है, जो देश में अपनी तरह का पहला एसईजेड है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया कि प्रस्तावित सुविधाएं एसईजेड के फाटक के पास स्थित हैं और 5 साल की अवधि के बाद इन सुविधाओं को गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थानांतरित करना मुश्किल नहीं होगा। अनुमोदन बार्ड ने नोट किया कि सह विकासकों ने निम्नलिखित के लिए वचन दिया है :

(i) शुल्क और कर मुक्त तरीके से केवल पूंजी और प्रारंभिक सेट अप की वस्तुएं खरीदना
(ii) डीटीए तथा एसईजेड यूनिटों से प्राप्तियों के लिए अलग राजस्व बहियां रखेंगे।
(iii) डीटीए राजस्व के लिए किसी आईटी करावकास का दावा नहीं करेंगे
(iv) लागू सेवा कर के साथ डीटीए बिलिंग करना
(v) जब तक डीटीए सैंपल का परीक्षण जारी रहता है तब तक लागू शुल्कों एवं करों के भुगतान के बाद ही सभी उपभोज्य वस्तुएं लाना।

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने उपर्युक्त शर्त (i) से (v) के अधीन 5 साल की अवधि के लिए एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में सुविधाएं स्थापित करने के लिए सह विकासक मैसर्स एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स बेसिक्स एकेडेमी फॉर बिल्डिंग लाइफलांग एंप्लायबिलिटी (बी-एबल) के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(ii) 31 दिसंबर, 2010 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए मैसर्स शंकर पैकेजिंग लिमिटेड जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विकासक द्वारा प्रस्तुत किए गए औचित्य पर विचार किया और 31 दिसंबर 2010 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट के अनुरोध को अस्वीकार करने से संबंधित अपने पिछले निर्णय पर पुनर्विचार करने का कोई औचित्य नहीं पाया।

(iii) ग्राम भोंड़सी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए मैसर्स एसेंडेंट एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने विकासक द्वारा प्रस्तुत किए गए औचित्य पर विचार किया और विचार विमर्श के बाद 5 नवंबर 2012 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाई, जिसके अंदर विकासक को परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त कदम उठाने होंगे।

(iv) प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने के अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए मैसर्स ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपीएएल) जो दाहेज एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने यूनिट द्वारा प्रस्तुत किए गए औचित्य पर विचार किया तथा इस बात पर भी विचार किया कि यूनिट ने प्रसंस्करण क्षेत्र में सुरक्षाकर्मियों के लिए अतिथि गृह तथा बैरक के निर्माण के संबंध में प्राप्त किए गए सभी कर लाभों को लौटा दिया है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि लगभग 19500 करोड़ रुपए के निवेश से पीएसयू आधारित जेवी द्वारा निर्मित किया जा रहा पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स भारत का इस तरह का सबसे बड़ा कम्प्लेक्स है। इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में मौजूद अतिथि गृह को इनहाउस ट्रेनिंग अकादमी में परिवर्तित करने के लिए ओपल के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि इस निर्णय को दृष्टांत के रूप में नहीं लिया जाएगा।

मद संख्या 53.19 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) अधिकृत गतिविधि के रूप में अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं को शामिल करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स वेयनबर्ग रिसोर्सेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा पनवेल, मुंबई में विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपीलकर्ता की बात सुनी गई। अपीलकर्ता ने अनुमोदन बोर्ड को बताया कि वह विभिन्न लंबाई के वायर रोप की आपूर्ति करने का धंधा करता है जिसके लिए वह बड़े लेंथ / रोल में वायर रोप का भंडारण और वेयरहाउसिंग करता है। चूंकि विभिन्न ग्राहकों द्वारा विभिन्न लेंथ की मांग की जाती है इसलिए आवश्यक है कि ट्रेडिंग एवं वेयर हाउसिंग की गतिविधि के अलावा वायर की विभिन्न लेंथ का मापन, कटिंग, एनीलिंग, क्लैंपिंग और लूप की फिक्सिंग आदि जैसे कार्य किए जाएं। आवेदक ने बोर्ड को यह भी सूचित किया कि मूल्यवर्धन की उपर्युक्त गतिविधियां विनिर्माण की परिभाषा में नहीं आती हैं क्योंकि मूल्यवर्धन की सेवाएं संचालित करने के बाद भी अंतिम उत्पाद पूर्ववत बना रहता है। विचार विमर्श बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील को स्वीकार कर लिया और निर्णय पर पुनर्विचार के लिए अपील को वापस यूनिट अनुमोदन समिति के पास भेज दिया।

(ii) एलओपी के निरसन के विरूद्ध मैसर्स स्टर्लिंग विनिल एडिटिव्स एलएलपी जो दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपीलकर्ता की बात सुनी गई। अपीलकर्ता ने बोर्ड को बताया कि अब कंपनी परियोजना के कार्यान्वयन पर गंभीरता से विचार कर रही है तथा उन्होंने अनुरोध किया कि वैधता अवधि बढ़ाई जाए ताकि वे परियोजना को लागू कर सकें। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने

अपील को मंजूर कर लिया तथा अनुमोदन बोर्ड की बैठक की तिथि से 6 माह की अवधि के लिए अर्थात 5 जनवरी, 2013 तक यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई गई।

(iii) अधिकृत गतिविधि के रूप में कुछ मूल्यवर्धित सेवाओं को शामिल करने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स नितिन फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो मैसर्स अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा पनवेल, मुंबई में विकसित किए जा रहे एफटीडब्ल्यूजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपीलकर्ता की बात सुनी गई। अपीलकर्ता ने बोर्ड को निम्नलिखित मूल्यवर्धित सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करने का औचित्य समझाया :

(i) सिलेंडर की जांच
(ii) फिलिंग मशीन के माध्यम से खाली एक्सटिंग्विशर में टैंक कंटेनर से तरल गैस (फायर फाइटिंग केमिकल) भरना
(iii) तौल मशीन के माध्यम से भरे गए एक्सटिंग्विशर का नाप तौल करना
(iv) एक्सटिंग्विशर पर आवश्यक फिटिंग एवं कैप लगाना तथा डिस्पैच से पूर्व स्वयं या अन्य एजेंसियों के माध्यम से सिलेंडर की जांच करना।

चूंकि यह यूनिट फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन में है, इसलिए विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के प्रावधानों के आलोक में एफटीडब्ल्यूजेड में ऐसी गतिविधियों को अनुमत करने के मुद्दे की विस्तार से जांच करने के लिए अपील को आस्थगित कर दिया।

(iv) विदेशी ग्रुप कंपनियों द्वारा निर्मित लोड सेल की मरम्मत करने तथा मरम्मत किए गए लोड सेल को डीटीए में वापस भेजने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स विषय प्रीसीजन ट्रांसड्यूसर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो तमिलनाडु में सिपकॉट हाइटेक इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपीलकर्ता की बात सुनी गई। अपीलकर्ता ने अनुमोदन बोर्ड को बताया कि डीटीए को केवल मरम्मत किए गए लोड सेल्स भेजना चाहते हैं जिन्हें उनकी प्रवासी ग्रुप कंपनियों (मूल कंपनी / संबद्ध कंपनी में तत्कालीन डीटीए यूनिट सहित) द्वारा भारत में बेंचा गया है। विचार विमर्श बाद अनुमोदन बोर्ड ने अपील को स्वीकार कर लिया और निर्णय पर पुनर्विचार के लिए अपील को वापस यूनिट अनुमोदन समिति के पास भेज दिया।

पूरक एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 53.20 : एसईजेड में प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिटों पर प्रारूप नीति

अनुमोदन बोर्ड ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिटों के लिए नीति को अंतिम रूप दिए जाने तक 30 सितंबर, 2012 तक प्लास्टिक रिप्रोसेसिंग यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के निर्णय की पुष्टि की।

मद संख्या 53.21 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) ग्राम फिरोज़पुर और रतनपुर, जिला गांधीनगर, गुजरात में मैसर्स गिफ्ट एसईजेड लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स गिफ्ट पावर कंपनी लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में एसईजेड क्षेत्र के अंदर विद्युत वितरण तथा एसईजेड क्षेत्र के अंदर विद्युत वितरण के लिए अपेक्षित अवसंरचना सुविधाओं एवं उपकरणों के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स गिफ्ट पावर कंपनी लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 53.22 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने निम्नलिखित अनुरोध किया है :

(i) 25 मेगावाट (कुल 25 मेगावाट, प्रसंस्करण क्षेत्र में 22 मेगावाट तथा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 3 मेगावाट) की विद्युत क्षमता (जो अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित की चुकी है) को बढ़ाकर 42 मेगावाट (कुल 42 मेगावाट, प्रसंस्करण क्षेत्र में 26 मेगावाट और गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 16 मेगावाट) करना।

(ii) 37500 वर्गमीटर के आईटी / आईटीईएस कार्यालय स्थान का निर्माण

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने 25 मेगावाट (कुल 25 मेगावाट, प्रसंस्करण क्षेत्र में 22 मेगावाट तथा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 3 मेगावाट) की विद्युत क्षमता को बढ़ाकर 42 मेगावाट (कुल 42 मेगावाट, प्रसंस्करण क्षेत्र में 26 मेगावाट और गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 16 मेगावाट) करने के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

तथापि अनुमोदन बोर्ड द्वारा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 37500 वर्गमीटर के आईटी / आईटीईएस कार्यालय स्थान के निर्माण के लिए अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया क्योंकि राजस्व विभाग में टिप्पणी की कि आईटी / आईटीईएस एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में आईटी / आईटीईएस कार्यालय स्थान का कोई स्पष्ट अस्तित्व नहीं है क्योंकि एसईजेड के बाहर संस्थाओं द्वारा इसका वाणिज्यिक रूप में उपयोग किया जा सकता है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि गैर प्रसंस्करण क्षेत्र प्रसंस्करण क्षेत्र की यूनिटों की सहायता के लिए अवसंरचना सुविधाएं स्थापित करने के लिए है। राजस्व विभाग ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने से पूर्व मामले पर और स्पष्टीकरण प्रदान करने की मांग की। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को आस्थगित कर दिया तथा अनुमोदन बोर्ड द्वारा फिर से विचार किए जाने के लिए उपर्युक्त सभी मुद्दों की जांच के बाद विकासक द्वारा अनुरोध किए गए अधिकृत प्रचालनों की प्रकृति पर विकास आयुक्त, एनएसईजेड से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

मद संख्या 53.23 : क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(viii) रविरयाल / श्रीनगर गांव, माहेश्वरम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में एफटीडब्ल्यूजेड के साथ सेमी कंडक्टर के निर्माण और विकास की सुविधा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स फैब सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने एसईजेड से 175.50 हेक्टेयर के विमुक्तीकरण के लिए मैसर्स फैब सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 259.36 हेक्टेयर रह जाएगा। यह अनुमोदन एसईजेड की सन्निकटता बनाए रखने तथा विकास आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अधीन है कि विकासक ने विमुक्त किए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभों को वापस कर दिया है।

मद संख्या 53.24 : क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) अदिबाटला गांव, इब्राहिमपट्टनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का सेक्टर ''एयरो स्पेस तथा प्रीसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री'' से बदलकर ''प्रीसीजन इंजीनियरिंग'' करने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड का सेक्टर "एयरोस्पेस और प्रिसीजन इंजीनियरिंग उद्योग" से बदलकर "प्रिसीजन इंजीनियरिंग" करने के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 53.25 : विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) 12/1, सेक्टर 27डी, औद्योगिक क्षेत्र, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा में 10.40.43 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एस्पायर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने 10.4043 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 12/1, सेक्टर 27डी, औद्योगिक क्षेत्र, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एस्पायर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुरोध को विकास आयुक्त के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अधीन प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी / कर लाभ वापस कर दिए हैं।

मद संख्या 53.26 : पांचवें साल के बाद औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) टिकरी गांव, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 29 जुलाई, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स यूनिटेक रियल्टी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 29 जुलाई, 2013 तक औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 53.27 : चौथे साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 15 मई, 2012 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स रूप टेलीसोनिक अल्ट्रासोनिक्स लिमिटेड जो गांधीनगर, गुजरात में इलेक्ट्रानिक्स एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 15 मई, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की। बोर्ड ने यह भी निदेश दिया कि इसके बाद यूनिट की वैधता अवधि न बढ़ाई जाए।

मद संख्या 53.28 : नाम में परिवर्तन / इक्विटी के अंतरण के लिए अनुरोध

(i) पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस एसईजेड के विकासक का नाम मैसर्स डीएलएफ आकृति इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड से बदलकर मैसर्स क्वार्डोन बिजनेस पार्क लिमिटेड करने के लिए अनुरोध

बोर्ड ने नोट किया कि 19 सितंबर, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 19वीं बैठक में विकासक को विदेशी निवेशक को कंपनी के शेयरों की बिक्री के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था और अब विकासक का नाम परिवर्तित करने के लिए अनुरोध किया गया है।। विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने नाम बदलकर मैसर्स क्वार्डोन बिजनेस पार्क लिमिटेड करने के लिए मैसर्स डीएलएफ आकृति इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

मद संख्या 53.29 : 31 अक्टूबर, 2010 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के संबंध में अनुमोदन बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए मैसर्स समीर इंडस्ट्रीज जो केएएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने इस मद को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तद्नुसार, अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया।

मद संख्या 53.30 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(ii) मैसर्स श्रेनुज एंड कंपनी लिमिटेड (व्यापार शाखा), जो एसईईपीजेड एसईजेड की यूनिट है, की अपील

अनुमोदन बोर्ड द्वारा अपीलकर्ता की बात सुनी गई। अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि डीटीए में या बाहर किसी स्थापित अंतर्राष्ट्रीय रत्न परीक्षण एवं वर्गीकरण प्रयोगशाला को कट एंड पॉलिश्ड डायमंड (जो निर्मित उत्पाद है) भेजने के कार्य को उप संविदा नहीं माना जा सकता है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने टिप्पणी की कि यूनिट के अनुरोध को अस्वीकार करने वाला यूनिट अनुमोदन समिति का आदेश गतिविधि को उप संविदा के रूप में चिह्नित करने की हद तक त्रुटिपूर्ण है। विचार विमर्श बाद अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए अपील को वापस यूनिट अनुमोदन समिति के पास भेज दिया।

सारणी एजेंडा पर निर्णय

मद संख्या 53.31: सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) ग्राम कट्टीगेनहल्ली और वेंकटाला, होबली येलाहंका, जिला बंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस / बीपीओ / इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स हिंदुआ रियल्टी वेंचर्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, बोर्ड ने विकासक के साथ किए गए सह विकासक करार के अनुसरण में सभी बुनियादी एवं अन्य अवसंरचना सहित संपूर्ण एसईजेड के विकास, निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स हिंदुआ रियल्टी वेंचर्स लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हो गई।

****